



## आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की परामर्श बैठक

### प्रलिस के लिये:

आसियान-भारत व्यापार परिषद, रूलस ऑफ ओरिजिन, आसियान

### मेन्स के लिये:

भारत-आसियान द्विपक्षीय व्यापार

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की 17वीं परामर्श बैठक' (17th ASEAN-India Economic Ministers Consultations) का आयोजन किया गया।

## प्रमुख बडि:

- इस बैठक का आयोजन 29 अगस्त, 2020 को 'भारतीय वाणज्य और उद्योग मंत्री' तथा वयितनाम के उद्योग एवं व्यापार मंत्री की सह अध्यक्षता में किया गया था।
- इस बैठक में सभी 10 आसियान (ASEAN) देशों (बुरुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वयितनाम) के व्यापार मंत्रियों ने हसिसा लिया।
- बैठक में शामिल सभी देशों ने COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को कम करने हेतु मलिकर कार्य करने की अपनी प्रतबिद्धता को दोहराया है।
- साथ ही सभी देशों ने 'वशिव व्यापार संगठन' (World Trade Organisation- WTO) के नयिर्मों के तहत कषेत्र में अतआवश्यक वस्तुओं और दवाओं आदी के नरिबाध प्रवाह हेतु वतिततीय स्थरिता तथा आपूर्ता शरूखला की कनेक्टविटि को सुनश्चिति करने का संकल्प लिया।

## व्यापार समझौते की समीक्षा:

- इस बैठक के दौरान 'आसियान-भारत व्यापार परिषद' (ASEAN-India Business Council or AIBC) की रपौर्ट प्रस्तुत की गई।
- AIBC की रपौर्ट में सभी देशों के पारस्परिक लाभ हेतु आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN India Trade in Goods Agreement- AITIGA) की समीक्षा का सुझाव दिया गया है।
- बैठक में वरषिठ अधिकारियों को समीक्षा पर वचिर वमिर्श शुरु करने का नरिदेश दिया गया है जसिसे मुक्त-व्यापार समझौते को व्यवसायों के लिये और अधिक आसान, सुवधाजनक और अनुकूल बनाया जा सके।
- इस समीक्षा के माध्यम से समकालीन व्यापार सुवधा प्रथाओं को अपनाकर और सीमा-शुल्क तथा वनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थति कर समझौते को आधुनकि बनाया जाएगा।
- केंद्रीय वाणज्य और उद्योग मंत्री ने इस समझौते को बेहतर बनाने के लिये कई सुधारों की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया, जनिमें से कुछ नमिनलखिति हैं-
  - गैर-शुल्क प्रतबिंधों को दूर करना।
  - बाज़ार पहुंच को बेहतर बनाना।
  - 'रूलस ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) के प्रावधानों को मज़बूत करना।



## ‘आसियान भारत व्यापार परिषद’

### (ASEAN-India Business Council or AIBC):

- आसियान भारत व्यापार परिषद की स्थापना मार्च 2003 में कुआलालंपुर (मलेशिया) में की गई थी।
- आसियान भारत व्यापार परिषद की स्थापना का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के नज्दी क्षेत्र के उद्यमियों के बीच संपर्क स्थापति कराने तथा वचिरों के आदान-प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करना था।
- AIBC के सचविरलय की स्थापना वर्ष 2015 में मलेशिया में की गई थी।
- आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की वार्षिक बैठक के दौरान ‘आसियान भारत व्यापार परिषद’ की बैठक का भी आयोजन किया जाता है।

## आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता

### (ASEAN India Trade in Goods Agreement- AITIGA):

- यह भारत और आसियान समूह के बीच लागू एक मुक्त व्यापार समझौता है।
- भारत और आसियान देशों के बीच 13 अगस्त, 2009 को AITIGA पर हस्ताक्षर किये गए थे, यह समझौता 1 जनवरी 2010 को प्रभाव में आया था।

## समीक्षा की आवश्यकता:

- इस समझौते के लागू होने के बाद हाल के वर्षों में आसियान के साथ भारत के वार्षिक व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है।
- नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 (5 बलियन अमेरिकी डॉलर) से लेकर वर्ष 2017 (10 बलियन अमेरिकी डॉलर) के बीच आसियान के साथ भारत का वार्षिक व्यापार घाटा बढ़कर दोगुना हो गया।
- गौरतलब है कि वर्तमान में आसियान के साथ भारत का वार्षिक व्यापार घाटा लगभग 24 बलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
- आसियान देशों के साथ भारत के व्यापार घाटे के कुछ कारणों में गैर-टैरिफि बाधाएँ, आयात संबंधी नियम, कोटा और नरियात कर आर्दा प्रमुख हैं।
- वशिषज्जों के अनुसार, आसियान देशों द्वारा ‘रूल्स ऑफ ओरजिन’ के प्रावधानों के कमजोर करयान्वयन के कारण बड़ी मात्रा में चीनी उत्पादों को आसियान देशों के रास्ते भारत में पहुँचाया जाता है।

## आगे की राह:

- आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा और इसका प्रभावी करयान्वयन दोनों पक्षों द्वारा वर्ष 2020 के लिये तय किये गए 200 बलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।
- भारत द्वारा आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने पर वशिष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- भारत द्वारा चकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और वतितीय क्षेत्र की सेवाओं को बढ़ावा देकर व्यापार घाटे को कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- साथ ही भारतीय बाज़ार में चीनी उत्पादों के हस्तक्षेप को कम करने के लिये ‘रूल्स ऑफ ओरजिन’ के प्रावधानों का प्रभावी करयान्वयन बहुत ही आवश्यक है।

## ‘रूल्स ऑफ ओरजिन’ (Rules of Origin):

- रूलस ऑफ ओरजिनि, कसिी उत्पाद के राषटरीय सत्स्रोत के नरिधारण के लयिे आवश्यक मापदंड हैं ।
- अंतरराषटरीय व्यापार में 'रूलस ऑफ ओरजिनि' बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योकि कई मामलों में वस्तुओं पर शुल्क और परतबिंध का नरिधारण 'आयात के सत्स्रोत पर नरिभर करता है ।
- इसका प्रयोग 'एंटी-डंपिंग शुल्क' (Anti-Dumping Duty) या देश की वाणजिय नीति के तहत अन्य सुरक्षात्मक कदम उठाने, व्यापार आँकड़े तैयार करने, सरकारी खरीद आदि में कथिा जाता है ।

**स्रोत: पीआईबी**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/17th-asean-india-economic-ministers-consultations>

